ई0 पत्रावली संख्या–44614

प्रेषक,

हरिचन्द सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक दिसम्बर, 2022**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–573/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1(सामान्य)/कैम्प, दिनांक 21.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य मद योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजना के अवशेष कार्यों हेतु रू0 80.71 लाख (रू0 अस्सी लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि, योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1928/।।(02)/2020–04(49)/2019, दिनांक 16.10.2022 एवं शासनादेश संख्या–1541/।।(2)/2021–03(05)/2019, दिनांक 13.10.2021 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

3– धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसकी भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, कार्य मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जाय।

4– योजनाओं पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि योजनाओं पर आवश्यकतानुसार फांटवार आवंटित की जाये।

5– अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम् दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटाग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त

विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 में अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701—00—001—05—00—53 के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0—236 / XXVII(1) / 2022 / 09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या—391 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2022, दिनांक 24 जून, 2022 में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 15-12-2022 15:17:40

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या—44614

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, नैनीताल / पिथौरागढ़।
5. वित्त अनुभाग—02।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 15-12-2022 18:00:06

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।